न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 79/2017

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी :-

1. भागीरथ पुत्र घेवरराम
2. धापूदेवी पत्नि भागीरथ
   जातियान-जाट,निवासी-राणीवाल
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. तारीख रजू:.01/05/2017

उपस्थितः- 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 18/09/2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 77-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 114 रकबा 51-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 115 रकबा 23-16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 116 रकबा 0-16 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 117 रकबा 50-04 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 286 रकबा 13-00 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल किता-6 कुल रकबा 216-15 बीघा की भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित कुल भूमि में से वादीगण 1/10-1/10वां यानि की 02/20वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। उक्त भूमि की नकल चालू जमाबन्दी इस वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता व ससुर घेवरराम का स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण तत्कालीन हल्का पटवारी बैंड़कलां द्वारा भरा गया था, जिसमें वादीगण के घर के नाम की प्रविष्टियां कर दी गई थी। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ हैं। इसके बाबत् विद्यालय रेकर्ड, राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि की प्रतियां भी इस वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। वादीगण के सही नाम भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ हैं। जबकि नामान्तरकरण भरते समय पटवार हल्का बैंड़कलां के जरिये वादीगण के नाम भूण्डाराम वल्द घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भूण्डाराम का नाम दर्ज हो गया हैं। उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में चालू जमाबन्दी में नाम दर्ज हैं। उक्त गलत नाम होने की वजह से वादीगण को भारी परेशानी हो रही हैं। वादीगण अपना किसान साख पत्र भी नहीं बनवा पा रहे हैं एवं अन्य सभी जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। वादीगण ने उक्त नामों की दुरूस्ती कराने हेतु हल्का पटवारी बैंड़कलां व तहसीलदार से भी कई बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने ऐसी दुरूस्त कराने से मना कर दिया एवं न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 10/04/2017 को कथन किया हैं। तब इन परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश किया हैं। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकरण में हल्का पटवारी ने दिनांक 10/04/2017 को रेकर्ड दुरूस्ती करने से ईन्कार करने पर वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की, जिस पर वादीगण का यह वाद-पत्र अतिशीघ्र पेश करना आवश्यक हो गया हैं। वादीगण का वाद-पत्र भी आवश्यक प्रकृति का हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद-पत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति का प्रार्थन पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। बिनायवाद दिनांक 10/04/2017 को हल्का पटवारी बैंड़कलां द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती कराने का कहने पर वादीगण द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की व इस बाबत् न्यायालय में वाद पेश करने का कहने पर बमुकाम-राणीवाल, पटवार हल्का-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज भूण्डाराम पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भूण्डाराम के स्थान पर वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। वादी भागीरथ एवं गवाह चैनाराम पी0डब्ल्यू0-1, गुदड़राम पी0डब्ल्यू0-2 साक्ष्य का शपथ-पत्र वाद के समर्थन में पेश किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गरनिया का स्कॉलर फार्म 463, राशन कार्ड संख्या 200003388191, आधार कार्ड संख्या 513251216970, ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या TN18Z20120004155 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीगण का सही नाम भागीरथ ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से भूण्डाराम पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भूण्डाराम दर्ज नाम के स्थान पर भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 77-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 114 रकबा 51-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 115 रकबा 23-16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 116 रकबा 0-16 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 117 रकबा 50-04 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 286 रकबा 13-00 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल किता-6 कुल रकबा 216-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत दर्ज नाम भूण्डाराम पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भूण्डाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/09/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री जे.पी. बैरव, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भागीरथ पुत्र घेवरराम
2. धापूदेवी पत्नि भागीरथ
   जातियान-जाट,निवासी-राणीवाल
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 79/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 68/1 रकबा 77-08 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 114 रकबा 51-11 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 115 रकबा 23-16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 116 रकबा 0-16 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 117 रकबा 50-04 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 286 रकबा 13-00 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल किता-6 कुल रकबा 216-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत दर्ज नाम भूण्डाराम पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भूण्डाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम भागीरथ पुत्र घेवरराम व धापूदेवी पत्नि भागीरथ दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/09/2017 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	06-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	11-00	मिजानः-	00-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner